International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-7, Issue-6 December- 2020
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

भारत में सशक्तिकरण और महिला की अवधारणाः अर्थ एवं आवश्यकता

Sarika Tyagi
Ph.D. Scholar
Department of Sociology
Malwanchal University Indore, (M.P.).

Dr. Dharmveer Mahajan
Supervisor
Department of Sociology
Malwanchal University Indore, (M.P.).

सार

'सशक्तिकरण' से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे है जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पार ंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है। जिसने नारियों की स्थिति को सदैव कमतर माना है। मौलिक रूप से हमारा समाज एक पुरूष प्रधान समाज रहा है। नारियों को हमेशा यहाँ दूसरे दर्जे का स्थान ही प्रदान किया गया है। पहले नारियों के पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता ना होने के कारण उनकी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति एक पराश्रित से अधिक और कुछ नही थी; जिसे हर कदम पर पुरूष के सहारे की जरूरत पड़ती थी। नारी सशक्तिकरण के तहत नारियों के भीतर ऐसी प्रबल भावना उजागर करने का प्रयास भी किया जा रहा है कि वह अपने भीतर छिपी प्रतिभा को सही मायने में उजागर कर, बिना किसी सहारे के आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकें।

परिचय

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता हैं। इस दृष्टि से देखें तो नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए। उन्हें पुरुषों के साथ–साथ विकास की सहभागी माना जाए। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएँ अपने आर्थिक स्वावलम्बन, राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुँच व नियंत्रण प्राप्त करती हैं। अपनी शक्तियों व सम्भावनाओं, क्षमताओं व योग्यताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती हैं।

सशक्तिकरण शब्द का विच्छेद है स. शक्ति. करण। जिसमें 'स' उपसर्ग है। शक्ति संज्ञा है। विशेषण तथाकरण प्रत्यय से मिलकर शब्द बना है– सशक्तिकरण। इसका ध्वनि अर्थ है– शक्ति सहित गत्यात्मकता (गति)। सशक्तिकरण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। निरन्तर चलने वाली। निर्बल के सबल बनने की प्रक्रिया। एक पूर्ण सशक्त व्यक्ति वह है जो अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने में स्वतंत्रपूरीतरहहो, सामाजिक संदर्भों में जिस पर विवाह, संतानोत्पत्ति तथा व्यवसाय आदि से संबंधित विषयों पर घरेलूवासामाजिकअथ स्तर पर किसी प्रकार का दवाब न हो। इस प्रकार स्त्रियों के संदर्भ में सशक्तिकरण की अवधारणा अत्यधिकमहत्वपूर्ण हो जाती है।

भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारी को पुरुष के समानकारअधिप्रदान किए गए हैं। उसे अपने जीवन की गरिमा को सुरक्षित रखने और सम्मानित जीवन जीने का पूर्ण कारअधि प्रदान किया गया है। यहाँ तक कि शिक्षा और ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में भी नारी को अपनी प्रतिभा दिखानेमुखरितऔर करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। महाभारत काल के बाद नारी की इस स्थिति में गिरावट आयी। सेउस शिक्षा का मौलिक अधिकार छीन लिया गया। धीरे–धीरे नारी की स्थिति दयनीय एवं चिंताजनक होती गयी।मानवतसंदर्भों में देखें तो समय के साथ–साथ महिलाओं की परिस्थितियों में व्यापक बदलाव आ रहा है। समयरवट कले रहा है। दमन, दलन और उत्पीड़न से मुक्त होकर नारी जागरूक हो रही है। आज नारी विकास की ओर सरअग है। वह हर क्षेत्र में अपनी एक अनोखी पहचान बना रही है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करै। यरही आधुनिक युग की नारी का स्वरूप है।

नारी समाज की प्रगति को आगे बढ़ाने में सहायक रही है। समाजपूर्णक विकास तभी संभव है, जब पुरुष और नारी दोनों का समान विकास हो। दोनों को व्यावहारिक रूप से अधिकार समान प्राप्त हों। मात्र एक वर्ग के विकास से समाज में असंतुलन ही पैदा होगा। इसके लिए आवश्यकता इस बाती है ककि महिलाओं में साक्षरता, जागरूकता, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के समन्वित, संगठित प्रयास हों क्योंकि तावास्तवियह है कि आज भी अधिकांश महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों और उनके विकास के लिए बनाई शासकीय गई और गैर शासकीय योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है।

सशक्तिकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बेहतर मौके मिल जाते हैं। इसका मतलब केवलनोंसंसाधपरबेहतर नियंत्रण नहीं है बल्कि इसका आत्मविश्वास में वृद्धि और पुरुषों के साथ बराबरी के आधारनि ण्पर्राय

करने की क्षमता से भी है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि पुरुष समाज स्त्रियों के सहाथेने वाले भेदभाव के बारे में जागरूक बनें।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास स्वतंत्रता के उपरांत ही किए गए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु का कहना था ''लैंगिक असमानता चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए उसे दूर करना आवश्यक है।'' नेहरू जी का मानना था कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। निशांत मीनाक्षी ने अपने लेख विकास बनाम सशक्तिकरण में बताया है– ''महिला सशक्तिकरण अर्थात् महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं को वे सारे उपकरण उपलब्ध नाकरवाजिनकी सहायता से आधी दुनिया उन्नति कर सकती है, आगे बढ़ सकती है।'' महिला सशक्तिकरण की दिशमें सबसे बड़ा रोड़ा, महिलाओं में शिक्षा औ जागरूकता की कमी ही है। यदि महिलाओं को शिक्षित बना दिया जाए तो वे अपने सामाजिक व राजनैतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएँगी और फिर ऐसी जागरूक महिलाओं दबाना,क किसी के लिए भी सम्भव नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में सशक्त होने की स्थिति को सशक्त बनाने की कार्यवाही केमं रूपपरिभाषित किया गया है। सशक्त का अर्थ– सक्षम करने के लिए, शक्ति देने के। लिएशक्ति का विचार सशक्तिकरण की जड़ में है।

शैक्षिक सषक्तिकरण

एक सुशिक्षित महिला अपने ज्ञान से अपने परिवार को प्रकाशितकरने के साथ–साथ स्वयं भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती है। संतान की प्रथम गुरू अर्थात उसकी माता यदि सुशिताक्षि हो तो भावी पीढ़ी के शिक्षित होने की संभावना कई प्रतिशत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विसंगतियों ड़नेसेलका एक मात्र हथियार भी षिक्षा ही है, इसके इस्तेमाल से स्त्रियां परिवार तथा समाज में सम्मान के साथ–साथ आर्थिकस्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकती हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि शिक्षित स्त्री परिवार के महत्वपूफैसलोंर्ण में अपनी राय देने के साथ–साथ निर्णय प्रक्रिया में भी भागीदारी कर सकती है। आज यह सकारात्मक परिवर्तन प्रत्येकसमाज में देखा जा रहा है। लोग बच्चियों को पढ़ाने में रूचि लेने लगे हैं। आवश्यकता यह है कि उनके युवापर भीहोनयह रूचि बनी रहे तथा पढ़ाई समाप्त होने पर ही उनके विवाह की चर्चा हो।

शारीरिक/स्वास्थ्य सम्बन्धी सषक्तिकरण

इसका अर्थ बॉडी बिल्डिंग अथवा अखाड़े में उतरना नहीं है। शक्तिकरइससण का अभिप्राय स्त्रियों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। कभी सबको खिलाकर सबसे पीछे खाने की परम्परा तो कईजीरोबार फिगर की चाहत के कारण वह उपयुक्त आहार नहीं ले पाती हैं। जिसके कारण षरीर कमजोर तथाी होरोगजाता है। शरीर से कमजोर महिलाएं प्रायः गर्भवती होने पर अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो जाती हैं। कमजोर माँ की संतान भी कमजोर होती है और उसका जीवन रोगों से संघर्ष करने में बीतता है, उसका स्वस्थ नही ंविकास हो पाता, जिससे उसका पूरा जीवन और एक पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। रोगिणी स्त्री अपना अथवा अपनेवारपरिका ध्यान रखने में भी असमर्थ होती है। ऐसी स्त्रियां योग्य होने के बाद भी प्रगति नहीं कर पातीं हैं। इसलिएपनेइन्हेंखान–पानअ पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिये। हम सभी जानते हैं जान है तो जहान है।

आर्थिक सशक्तिकरण

आज के युग में सभी का स्वावलंबी होना आवश्यक है। महिलाओं को भी अपनी योग्यता के अनुसार अर्थोपार्जन हेतु सामने आना चाहिए। महिलाओं के आर्थिक रूप से सबल होने से परिवार में समृद्धि आती है, साथ ही वह अपनी कई इच्छाओं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला बुरे वक्त में किसी की मोहताज नहीं होती, उसे किसी के सामने तथा आप अपने बच्चों के पालन–पोषण के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए अथवा सरक निजी संस्थानों में नौकरी करने के अलावा स्त्रियाँ स्वयं का व्यवसाय भी कर सकती हैं। यदि पति थवाअ पिता आर्थिक रूप से सम्पन्न हो तो भी अपनी रूचि के अनुसार कुछ काम अवश्य करना चाहिए ताकि वह स्वयं कीयोग्यता सिद्ध कर सकें तथा देश के विकास में अपना योगदान दे सकें।

सामाजिक सषक्तिकरण

सामाजिक सशक्तिकरण प्रक्रिया की शुरूआत परिवार से होती है क्योंकि विभिन्न परिवारों के योग से ही समुदाय तथा समाज का निर्माण होता है। यदि परिवार में स्त्रियों के साथतासमानका व्यवहार हो तो वे स्वयमेव सामाजिक रूप से भी सशक्त हो जाएंगी। इसके लिए परिवार में पुत्र–पुत्री भेदभाव, घरेलू प्रबंधन में पत्नी को सेविका मानने की बजाय सहयोगिनी मानना, उनके साथ अभद्र व्यवहार अथवा अपशब्दों केयागप पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ समान व्यवहार करना आदि शामिल है। इस प्रक्रिया में समाज के बड़े–बूढ़ों का सहयोग तथा बाल्यावस्था से ही पुत्रों को अपनी बहन, माता तथा सड़क पर चलने वाली लड़कियों के साथ सम्यक व्यवहार करने की दीक्षा भी शामिल है क्योंकि व्यक्ति बचपन में

जो भी अपने परिवार में देखता, सुनता और समझताहै, अधिकांशतः उसे ही युवा होने पर दोहराता है। साथ ही ऐसी परंपराएं जिसमें महिलाओं के निम्न अथवा ाहेयजातासमझहो उसे बदलने में भी परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

महिला सषक्तिकरणः सतत् विकास की कुँजी

महिलाओं ने पिछले दाकों में पुरूषों की तुलना में आर्थिक और सामाजिक विकास में अधिक लाभ उठाया है। फिर भी महिलायें दुनिया के सबसे कमजोर समूहों के रूप में प्रतिष्ठित है य क्योंकि इनकी पहुँच संसाधनों और बिजली तक पुरूषों के प्रति अत्यधिक कम है। लैंगिक समानता अपने आप में एक लक्ष्य है, लेकिन यह समानता आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। सभी प्रकार की गतिविधियों में महिलाओं और पुरूषों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। जिससे यह सुनिस्चित किया जाये कि संसाधनों के आवंटन में महिलाओं और पुरूषों के हितो को ध्यान में रखा जाए।

1992 में, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (न्छब्म्द्) ने पर्यावरण और विकास पर महिलाओं के योगदान की मान्यता और सतत् विकास में उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए। महिला ससक्तीकरण से जुड़े सामाजिक, आर्थक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनषीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सषक्तीकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैष्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाआं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय क राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। महिला सषक्तीकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविष्वास पैदा कर उन्हें सषक्त बनाने की प्रक्रिया है।

सषक्तिकरण की अवधारणा

सषक्तिकरण को "बहुआयामी सामाजिक प्रक्रिया" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो लोगों को अपने स्वंय के जीवन पर नियंत्रण पाने में सहायता करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी स्तरों पर महिलाओं में आत्मविष्वास उत्पन्न कर उन्हें सषक्त बनाती है।

महिला सषक्तीकरण का तात्पर्य है कि महिलाएं अपने जीवन पर अधिक शक्ति और नियंत्रण प्राप्त करे आसान षब्दों में कहा जाए तो महिला सषक्तिकरण से महिलाएँ शक्तिषाली बनती है। जिससे वह अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वंय ले सकती है और परिवार और समाज में भली प्रकार से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सषक्तिकरण है। सषक्तिकरण में इतनी शक्ति होती है कि वह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में परिवर्तन ला सकता है।

सषक्तिकरण की राजनीतिक अवधारणा

महिला सषक्तिकरण की राजनीतिक अवधारणा पाउलो फेयरी ने दी है उन्होने बताया है कि सषक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्बलो को शक्तिषाली बनने की हिम्मत मिलती है। सषक्तिकरण के द्वारा ही समाज के शक्ति के नियन्त्रण में बदलाव लाया जा सकता है।

महिला सषक्तिकरण की राजनीतिक अवधारणा का भारत में विकास स ंविधान निर्माण के साथ ही शुरू हो गया जिस के अन्तर्गत प्रषासन द्वारा अनेक कदम उठाये गये उनमें से ही 73 वाँ संविधान संषोधन एक है जिसके द्वारा स्थानीय संस्थाओं या निकायों मे ं लाखों महिलाओं की प्रविष्टि पाई गई गुर्न्नार मिर्डल का मानना है कि देष में सता पितृसतात्मक और रूढिवाद होने के कारण महिलाओं के साथ पुरूष के समान व्यवहार नही किया जाता महिलाओं के साथ असमानतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। उन्हें सभी क्षेत्रों, कार्यस्थलों पर निम्न स्थिति प्राप्त है। भारतीय समाज लैंगिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है। महिला सषक्तिकरण से सम्बंधित राजनीतिक अवधारणा महिलाओं के अधिकारों और उनकी समाज में छवि के रूप में होती है।

प्राचीन काल से ही महिलाओं को समानता का दर्जा नही मिला पुरूष का हमेषा ही उन पर नियन्त्रण रहा है। पिता का पुत्री पर, पति का पत्नि, भाई का बहन पर नियन्त्रण रहा है। इससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए महिलाओं के प्रति कैसा दृष्टिकोण और विचार है इस पर निर्भर करता है। इसलिए महिलाओं से सम्बन्धित कानून बनाने से सषक्त नही होगी इनके प्रति सोच भी बदलनी होगी। मानव समाज में अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की क्रियाषीलता, सृजनात्मकता और उर्जा पर आधारित कार्य होते है। आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं ने अपना योगदान दिया है राजनीति में रूचि रखने वाली महिलाओं के सामने ऐसी कई समस्याएं होती है जिनका सामना उन्हें महिला होने के कारण करना पडता है। भारत में महिलाओं

ने अपने मताधिकार के लिए कभी भी पुरूषों का विरोध नही किया। वे स्वतन्त्रता के समय भी पुरूषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खडी रही और स्वतन्त्रता संग्राम में पुरूषों के समान लडी।

महिला सषक्तिकरण के लिए दिए गये अधिकार

1) समान वेतन का अधिकार समान परिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

2) कार्य–स्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून (सूं हंपदेज ींतेंउमदज पद जीम ूवताचसंबमद्ध.रू यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको कार्य–स्थल पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ षिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए है य जिसके तहत कार्यस्थल पर यौन षोषण के षिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जाँच लंबित रहने तक 90 दिन का पैड लीव दी जाएगी।

3) कन्या भ्रूण का हत्या के खिलाफ अधिकार (त्पहीज हंपदेज मिउंसम मिजपबपकम).रू भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक महिला को उसके मूल अधिकार "जीने के अधिकार का अनुभव करने दें। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक लिंग चयन पर रोक अधिनियम (च्ब्च्छव्ज्) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।

4) संपत्ति पर अधिकार (त्पहीज जव चतवचमतजल).रू हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुष्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरूष दोनों का बराबर का अधिकार है।

5) गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार (त्पहीज जव कपहदपजल दक कमबमदबल).रू किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जाँच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।

महिला सषक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा चलाय गये विषेष कार्यक्रम

सरकार द्वारा चलाई गई महिला सषक्तीकरण योजनाओं का मुख्य उद्देष्य महिलाओं को राजनीतिक रूप से सषक्त बनाना है। महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है ताकि पिछडी व दबी महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके।

स्वावलंबन

इस योजना में सरकार के द्वारा पंचायती स्वैच्छिक संस्थाओं, विकास निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों आदि को वितीय सहायता दी जाती है ताकि समाज में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं, अनूसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर वर्गो की स्थिति में सुधार किया जा सके। इस योजना का षुभारम्भ 1982–83 में किया गया।

महिला समाख्या योजना

इस योजना का मुख्य उद्देष्य महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के लिए जागरूक करना विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना एवं उनका क्रियान्वयन करना है। इनके माध्यम से महिलाओं को षिक्षित किया जाता है ताकि रूढिवादी एवं परम्परागत विचारों से उपर उठकर समर्थ और स्वतन्त्र निर्णय लेने में समर्थ हो सके।

स्वधारा

यह योजना विषेष परिस्थितियों में महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई इस योजना में विकलांग, विधवाश्रमों में रह रही महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं से जुझी हुई महिलाओं आदि को भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य सम्बंधी देखभाल आदि व्यवस्थाएं प्रदान की जाती है।

रोजगार और प्रषिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देष्य परम्परागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौषल में सुधार और परियोजना के आधार पर रोजगार दिलाकर इनकी स्थिति में सुधार लाना है।

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

कामकाजी महिलाओं के लिए रहने के लिए ये याजना चलाई गई। इस योजना के द्वारा वे महिलाएं जो अकेली रहती है या जिनके पति बाहर काम करते है और विधवा, तलाकषुदा आदि महिलाओ ं को लाभ मिले। इस कार्यक्रम में व्यवसायिक पाठ्यक्रम पुरा कर रही महिलाओं के लिए किफायती और सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 67284 कामकाजी महिलाओं को लाभ प्रदान करते हुए 902 होस्टलों को स्वीकृती दी गई है।

उज्जवल योजना

इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं की खरीद, फरोक्त पर रोक लगाने और व्यवसायिक यौन–षोषण की षिकार महिलाओं के लिए पुनर्वास और दुबारा से समाज की मुख्यधारा से जोडने के लिए यह योजना चलाई गई इससे इन महिलाओ ं को समाज में सषक्त बनाया जा सके और इनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके।

राजीव गांधी किषोरी सषक्तिकरण योजना

भारत सरकार ने 11–18 वर्ष की स्कुली लडकियों को पोषक आहार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देष्य है। इसके अलावा लडकियों को पोषण, स्वास्थ्य, परिवार, कल्याण, स्वास्थ्य बच्चों की देखरेख एवं जीवन कौषल के बारे में भी षिक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के सषक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिषन

महिलाओं के समग्र सषक्तिकरण के लिए भारत एवं राज्य सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया, ताकि महिलाओं का समग्र विकास हो सके।

भारत में महिलाएंः निचले स्तर पर

भारत में महिलाओं में बड़े पैमाने पर भिन्नताएं होने के कारण उनके बारे में व्यापक तौर पर कोई अनुमान लगाना, निश्चित तौर पर कठिन कार्य है। उनका संबंध अलग–अलग वर्गों, जातियों, धर्मों, समुदायों से है। इसके बावजूद कहा जा सकता है कि ज्यादातर महिलाएं पितृसत्तात्मक ढांचो और विचारधाराओं के कारण तकलीपफें उठाती हैं, उन्हें महिला–पुरुष असमानताओं और पराधीनता का सामना करना पड़ता है। महिलाएं सामाजिक और मानव विकास के समस्त सूचकों में पुरुषों से पिछड़ जाती हैं। महिलाओं के लिए भारत में दुनिया का सबसे प्रतिकूल महिला–पुरुष अनुपात है। महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा पुरुषों से कम है, महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक स्तर पुरुषों की तुलना बहुत कम है। महिलाएं अल्प कौशल और कम पारिश्रमिक वाली नौकरियों तक सीमित रहती हैं, उन्हें पुरुषों की तुलना में पारिश्रमिक और वेतन कम मिलते हैं और उनका संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों पर विरले ही स्वामित्व और/या नियंत्राण होता है। महिलाओं की प्रधानता वाले घरों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वे हमारे देश के निर्धनतम घरों में से हैं। राजनीतिक एवं सामाजिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी

बेहद कम है। संसद में महिलाओं की भागीदारी कभी 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रही। उन्हें विधिक प्राधिकरण से बाहर रखा जाता है। उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, राजनीतिक नियमों के निरूपण में उनकी राय नहीं ली जाती और उन्हें अधीन रखा जाता है।

सभी जगह तो नहीं, लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्सों में लड़कियां असुविधाओं, बोझ और भय के डर तले जीवन बिताती हैं। वे उपेक्षा, भेदभाव का बोझ उठाती हैं, घरेलू कामकाज का बोझ उठाती हैं, भाई–बहनों की देखरेख का बोझ उठाती हैं, घर से बाहर काम करने का बोझ उठाती हैं। लड़कियां भय के साथ जीती हैं– कोख में ही खत्म कर दिए जाने का भय, जहर दिए जाने का भय, उपेक्षित होने और काल का ग्रास बनने दिए जाने का भय, भरपूर प्यार, देखभाल, पोषण, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा न मिलने का भय। हमारी बेटियां छेड़छाड़ से लेकर दुष्कर्म जैस यौन उत्पीड़न के भय के साथ भी जीती हैं। कड़े और बेहतर कानून पारित हो जाने के बाद भी, जघन्य सामूहिक दुष्कर्मों की संख्या बढ़ती जा रही है। विवाह के बाद उन्हें अकेलेपन, अनमेलपन, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के भय का सामना करना पड़ता है।

यह स्वीकार किया जाने लगा है कि महिलाओं के साथ हिंसा होती है और इसकी भर्त्सना होने लगी है, निर्णय लेने वाले समस्त निकायों में महिलाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। महिलाओं के लिए कुछ कानूनी प्रावधानों में, शैक्षणिक और रोजगार के अवसरों में सुधार हुए हैं, नीतिगत वक्तव्य महिलाओं के प्रति अब ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। सरकारी और गैर–सरकारी विकास एजेंसियों तथा कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या में भी कुछ वृद्धि हुई है और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढी है। हमारी सरकारों ने महिलाओं से संबंधित मामलों को देखने के लिए महिला ब्यूरो, आयोग, विभाग और/या मंत्राालय स्थापित किए हैं। इसके बावजूद, हमें महिलाओं और पुरुषों में समानता प्राप्त करने की दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

उपसंहार

सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है, शक्तिशाली बनाना। सशक्तिकरण भागीदारी की प्रक्रिया है जो घर और समुदाय से शुरु होती है। सशक्तिकरण जागरुक करने, अध्कि साझेदारी के लिए क्षमता उत्पन्न करने तथा बड़े से बड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सम्बन्धों की शक्ति को बदलना है। जी. पोलिनीथूराई के शब्दों में ''महिला सशक्तिकरण' वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनैतिक संस्थाओं द्वारा

महिलाओं को पुरुषों के बराबर, मान्यता दी जाय''। किन्तु स्त्री पुरुष समानता के संवैधनिक प्रावधन, महिला संरक्षण एवं कल्याण की अनेकानेक अयोजनाओं तथा महिलाओं तथा महिला अधिकारों हेतु सहायक विभिन्न सामाजिक योजनाओं के बावजूद महिलाओं के प्रति भेदभाव आज भी चिन्ता का विषय हैं। लैंगिक विषमता एक सार्वभौमिक समस्या है। जो भारतीय समाज में एक गंभीर रूप धरण किए हुए हैं। जिसके परिणाम स्वरूप अनेक समस्यायें उत्पन्न होती है।

सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक प्रकार के विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि सबके हित के पफैसले तक पहुँचा जा सके। महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय का ज्वलंत प्रश्न है। समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण का आग्रह जोर पकड़ चुका है। नई शताब्दी में वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। इस दौरान महिलाओं की क्षमताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिक सशक्त बनाने तथा समग्र समाज की महिलाओं की स्थिति और भूमिका के जागरुक बनाने के प्रयास किये गये हैं। परिणामस्वरूप महिलायें आज विभिन्न क्षेत्रों में अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ रही हैं। महिलाओं के विकास तथा शक्तिकरण में दो तत्व सर्वाधिक सार्थक भूमिका निभा सकते हैं, ये हैं– शिक्षा और आर्थिक स्वावलम्बन। शिक्षा एक ऐसा तत्व है जो महिलाओं में स्वाभिमान और आत्मविश्वास उत्पन्न करते हैं तथा प्रत्येक दृष्टि से सशक्त और अधिकार सम्पन्न बनाने में भी सहायक हैं। विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है कि शिक्षा से सशक्तिकरण होता है तथा जीवनपर्यन्त व निरंतर शिक्षा मानव जीवन के स्तर को उन्नत बनाती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

1. महला, अरविंद और सुरेंद्र कटारिया – भारत में महिला सशक्तिकरणः प्रयास और बाधाएँ , मलिक एंड कंपनी। जयपुर। 2013. पी। 262 ।
2. सिंह, करण बहादुर, (2006) ''महिला अधिकार व सषक्तिकरण, कुरूक्षेत्र, मार्च
3. गुप्ता, कुमार कमलेष ''महिला सषक्तिकरण, बुक एनक्लेव, जयपुर
4. स्त्रोत, Bharmverchandel भारत में महिला सशक्तिकरणः दशा और दिशा Journalistdharamveer.blagspot.com/.../b1....
5. कुमार, नीरजए महिला सशक्तिकरण की कुछ कोशिशे ं, कुरुक्षेत्र, मार्च, २००७

6- Kadekodi, Gopal K., Kanbur, Ravi and Rao, Vijayendra, eds. Development in Karnataka: challenges of governance, equity and empowerment. New Delhi: Academic Foundation, 2008. 432p.

7- Kapadia, K. ed. The violence of development: the political economy of gender. London: Zed Books, 2002. 300p.

8. गुप्ता, कुमार कमलेष ''महिला सषक्तिकरण, बुक एनक्लेव, जयपुर

9. सिंह, सीमा, ''पंचायती राज और महिला सषक्तिकरण'' विद्या विहार, नई दिल्ली

10. सिंह, करण बहादुर, (2006) ''महिला अधिकार व सषक्तिकरण, कुरूक्षेत्र, माच